

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

D/5011

// आदेश //

क्रमांक D/5011

जबलपुर, दिनांक 25/07/2018

श्री रामेश कुमार प्रजापति, निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को "इंडिया गाड़ी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, मैदान गढ़ी नई दिल्ली से Certificate in Functional English (Basic Level) (CFE)" में सम्मिलित होने की अनुमति निम्नान्कित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है : -

1. यह कि साधारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा। यदि परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपभोग न कर सकते कार्य पर उपस्थित होना होगा, जिन पूर्वानुमति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।
2. कार्यालयीन समय में शासकीय कार्य को लगान से करना होगा, ताकि कार्य में व्यवधान न हो तथा कार्यालयीन कार्य प्रतिकूल लप से प्रभावित न हो। यदि यह घटा गया कि वे शासकीय कार्य की अवहेलना करते हैं तो यह अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
3. यह कि दोपहर के अवकाश के अलावा अपने स्थान पर न पाए गए तो यह अनुमति निरस्त कर दी जावेगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिए अध्ययन हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।

(अरविन्द कुमार शुक्ला)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठाकान क्रमांक D/5012

जबलपुर, दिनांक 25/07/2018

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार प्रशा/कम-पी.पी.एस. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर.
2. रजिस्ट्रार आई.टी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु
3. ज्वाइट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर.
4. डिप्टी रजिस्ट्रार.....(सनस्ता), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर.
5. कोर्ट फैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर.
6. अनुभाग अधिकारी स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर.
7. सहायक स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर.
8. श्री रामेश कुमार प्रजापति, निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

U.S. Deby
(यू.एस. दुबे)
रजिस्ट्रार कम-पी.पी.एस.
Par